न्यायालय–अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण,
<u>जयपुर महानगर–प्रथम</u>

पीठासीन अधिकारी : **प्रीति मुकेश परनामी,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>सेशन प्रकरण संख्या : 07/2021 CNR No. RJJM01-000243-2021</u>

राजस्थान राज्य **बनाम**

राजेश कुमार पुत्र पूरणमल, उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव बहरावण्डा कला, थाना बहरावण्डा कला, तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर।

.......अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 306 विकल्प में धारा 302 भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थित :</u>–

1–श्री लखन लाल मीणा, विशिष्ट लोक अभियोजक राज. राज्य की ओर से।
2–श्री संजय यादव, अनवर खान व मौहम्मद रशीद, विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त की ओर से।
3–श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

<u>:: निर्णय ::</u> **दिनांक : 28 जून, 2024**

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 10.08.2020 को परिवादी पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना बहरावण्डा कलां, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर पुलिस थाना बहरावण्डा कलां, सवाईमाधोपुर पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं तत्पश्चात् मानसरोवर, जयपुर पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 484/2020 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 498ए, 302 भा.द.सं. में बाद अनुसंधान दिनांक 02.01.2021 को आरोपी के विरुद्ध धारा 498ए, 306, 323 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर महानगर–प्रथम में प्रस्तुत आरोप–पत्र के आधार पर प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर हुआ है।

2. लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर उक्त प्रकरण के सारतः संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि परिवादी उलापुरा, हरिजन बस्ती, कोटा जंक्शन, कोटा का रहने

वाला है। परिवादी की बहिन मृतका की शादी 10–12 साल पहले राजेश निवासी बहरावण्डा कलां के साथ की थी। राजेश उसकी बहिन व बच्चों सहित पिछले 8–9 साल से वरुण पथ मानसरोवर रह रहा था। राजेश उसकी बहिन को आये दिन शराब पीकर मारता–पीटता था। दिनांक 06.08.2020 को उसके जीजा राजेश ने अपने किराये के मकान जयपुर पर उसकी बहिन मृतका के साथ शराब पीकर लात–घूसों से मारपीट की, जिससे उसकी जयपुर में ही मौत हो गई। राजेश उसकी बहिन की लाश को लेकर अपने गॉव बहरावण्डा कलां आ रहा था, जिसकी उन्होंने पुलिस को सूचना देकर लाश को खण्डार हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखवा दिया। उसकी बहिन ने दिनांक 06.08.2020 को शाम को फोन कर राजेश द्वारा मारपीट व जान से मारने के बारे में बताया भी था। उसके जीजा के किसी एक औरत के साथ नाजायज संबंध है, जो राजेश के साथ ही काम करती है, इत्यादि।

3. उक्त प्रकरण में अनुसंधानोपरांत प्रस्तुत आरोप–पत्र के आधार पर आरोपी राजेश कुमार को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323, 306 विकल्प में धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, जिस पर उक्त आरोपी ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध को प्रमाणित कराने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर, पी.डब्ल्यू–2 लखन, पी.डब्ल्यू–3 चन्द्रकला, पी.डब्ल्यू–4 रवि कुमार, पी.डब्ल्यू–5 पूरण, पी.डब्ल्यू–6 डॉ. अनिल सिंघल, पी.डब्ल्यू–7 डॉ. मुकेश कुमार मंगल, पी.डब्ल्यू–8 डॉ. अरविंद मथुरिया, पी.डब्ल्यू–9 अंकित, पी.डब्ल्यू–10 सोनिया, पी.डब्ल्यू–11 शेखर जैन, पी.डब्ल्यू–12 औंकार सिंह, पी.डब्ल्यू–13 संजय कुमार, पी.डब्ल्यू–14 रामकिशन, पी.डब्ल्यू–15 जगदीश प्रसाद, पी.डब्ल्यू–16 गीता बाई, पी.डब्ल्यू–17 प्रमोद कुमार, पी.डब्ल्यू–18 राम डागर, पी.डब्ल्यू–19 दिलीप कुमार, पी.डब्ल्यू–20 अम्बालाल को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी–2 चाक एफ.आई.आर. जीरो नंबरी, प्रदर्श पी–3 फर्द पंचायतनामा, प्रदर्श पी–4 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श पी–5 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श पी–6 नक्शा मौका घटनास्थल,

प्रदर्श पी–7 थानाधिकारी, पुलिस थाना मानसरोवर को सी.एच.सी. खण्डार द्वारा जारी पत्र, प्रदर्श पी–8 एफ.एस.एल. रिपोर्ट, प्रदर्श पी–9 पुलिस बयान अंकित, प्रदर्श पी–10 पुलिस बयान सोनिया, प्रदर्श पी–11 पुलिस बयान शेखर जैन, प्रदर्श पी–12 पुलिस बयान औंकार सिंह, प्रदर्श पी–13 लगायत पी–26 फोटोग्राफ्स, प्रदर्श पी–27 धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र, प्रदर्श पी–28 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, प्रदर्श पी–29 चाक एफ. आई.आर., प्रदर्श पी–30 मैट्रोमास अस्पताल द्वारा थानाधिकारी मानसरोवर को लिखा पत्र, प्रदर्श पी–31 धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र, प्रदर्श पी–32 व पी–33 मोबाइल कॉल डिटेल, प्रदर्श पी–34 मेडिकल ज्यूरिष्ट बोर्ड, सी.एच.सी. खण्डार को मृत्यु की राय बाबत् लिखा पत्र, प्रदर्श पी–35 प्राप्ति रसीद एफ.एस.एल., प्रदर्श पी–36 मेडिकल ऑफिसर, सीएचसी खण्डार को लिखे पत्र एवं भौतिक साक्ष्य में पैन ड्राईव को आर्टिकल–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया।

5. प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त को धारा 313 द. प्र.सं. के प्रावधान से परीक्षित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का अभिवाक् किया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है। कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 पुलिस बयान दीपक डागर, प्रदर्श डी–2 कॉल रिकॉर्डिंग को प्रदर्शित करवाया।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी के बहस के दौरान संयुक्ततः यह तर्क रहे कि पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित है। अभियुक्त व मृतका के बच्चों द्वारा धारा 161 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध साक्ष्य में रामसिंह नाम के किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया एवं न ही अन्य किसी साक्षी द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति का नाम अपने धारा 161 द.प्र.सं. के कथनों में उल्लेखित किया गया है, जिससे उनकी साक्ष्य अविश्वसनीय है। उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन कहानी की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जावे।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क रहे कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गए महत्वपूर्ण गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। दहेज की मांग को लेकर मृतका को कभी यातना दिए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। मृतका के पुत्र एवं पुत्री पूर्णतया पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी पुष्टि नहीं की है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त का मौके पर उपस्थित होना ही प्रकट नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन कर पत्रावली का परिशीलन किया गया।

10. उक्त प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समय निम्न अवधार्य बिन्दु उद्भूत होते हैं :-

(1) क्या आरोपी ने मृतका को उसका पति होते हुए विवाह उपरांत सुसंगत दिवस को सुसंगत समय व स्थान पर शराब पीकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की ?

(2) क्या आरोपी ने सुसंगत दिवस को सुसंगत समय व स्थान पर मानसरोवर, जयपुर स्थित अपने किराये के मकान में मृतका के साथ गम्भीर व अचानक प्रकोपन के अन्यथा मारपीट कर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी द्वारा मृतका का पति होते हुए उसके प्रति शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरता का आचरण कर निरंतर प्रताड़ित किए जाने से मृतका ने सुसंगत दिवस को आत्महत्या कर ली विकल्पतः आरोपी द्वारा मृतका को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उसका गला यह संभाव्य जानते हुए दबाया कि ऐसा करने से प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृतका की मृत्यु हो जायेगी ?

<u>अवधार्य बिन्दुओं का विनिश्चय–</u>

11. उक्त समस्त अवधार्य बिन्दु अभियोजन के विरुद्ध तय किए जाते हैं।

विनिश्चय के कारण–

12. उक्त प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अन्य अपराध के अतिरिक्त धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का भी आरोप है। **धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के गठन हेतु अभियोजन पक्ष को निम्न तत्व साबित किया जाना होता है–

(1) एक महिला आवश्यक रूप से विवाहित हो,

(2) उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो,

(3) क्रूरता इस प्रकृति की हो कि–

- (i) जानबूझकर किया गया आचरण–
- (क) जो ऐसी प्रकृति का हो, जो उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे,
- (ख) उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की जो चाहे शारीरिक हो या मानसिक, गंभीर क्षति कारित करने की संभावना हो,
- (ii) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि–
- (क) किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए,
- (ख) स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
- (iii) ऐसी किसी स्त्री को उसके पति या नातेदार द्वारा क्रूरता कारित की गई हो।

13. धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध विधितः तभी घटित होना माना जा सकता है, जबकि अभियुक्त द्वारा मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो। ऐसे मामलों में दुष्प्रेरण व आत्महत्या के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। यह साक्ष्य आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, जिनके कारण मृतक आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया था।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य

(2017) 1 SCC 433 के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

"It is thus manifest that the offence punishable is one of abetment of the commission of suicide by any person, predicating existence of a live link or nexus between the two, abetment being the propelling causative factor. The basic ingredients of this provision are suicidal death and the abetment thereof. To constitute abetment, the intention and involvement of the acused to aid or instigate the commission of suicide is imperative. Any severance or absence of any of this constituents would militate against this indictment. Remoteness of the culpable acts or omissions rotted in the intention of the accused to actualize the suicide would fall short as well of the offence of abetment essential to attract the punitive mandate of Section 306 IPC. Contiguity, continuity, culpability and complicity of the indictable acts or omission are the concomitant indices of abetment. Section 306 IPC, thus criminalises the sustained incitement for suicide."

15. उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में समस्त अवधार्य बिन्दुओं का विनिश्चय साक्ष्य की पुनरावृत्ति के निवारणार्थ समेकित रूप से विवेचन किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

16. परिवादी पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर द्वारा उसकी बहिन की मृत्यु के उपरांत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश किया जाना, जिसके आधार पर शून्य नंबर की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दर्ज होना, पी.डब्ल्यू–19 दिलीप कुमार की साक्ष्य के अनुसार उक्त रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा पंचायतनामा प्रदर्श पी–3, सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी–4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 सहित जयपुर प्रेषित किए जाने पर पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–29 पंजीबद्ध किया जाना दर्शित होता है।

17. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जावे, तो मृतका के भाई परिवादी पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर, उसकी पत्नी पी.डब्ल्यू–3 चन्द्रकला, पी.डब्ल्यू–15 जगदीश, पी.डब्ल्यू–16 गीता, पी.डब्ल्यू–18 राम डागर ने अपनी परिचायात्मक साक्ष्य में मृतका का आरोपी से लगभग 20–25 वर्ष पूर्व विवाह

होना बताते हुए आरोपी द्वारा मृतका के साथ शराब पीकर नशे में मारपीट कारित किया जाना बताया है। मृतका के बच्चे पी.डब्ल्यू–9 अंकित एवं पी. डब्ल्यू–10 सोनिया ने आरोपी द्वारा मृतका के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दी है।

18. जहॉ तक मृतका के साथ आरोपी द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाने का प्रश्न है, तो पूर्वोक्त वर्णित गवाहान की ऐसी शब्द मात्र भी साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि दहेज की किसी मांग के संबंध में आरोपी द्वारा मृतका के साथ कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो।

19. **अब देखना यह है कि क्या उपर्युक्त अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्त संदेह की परिधि से परे साबित है ?** धारा 498(ए) भा.द.सं. की परिधि अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत क्रूरता को दण्डनीय अपराध घ ोषित किया गया है तथा क्रूरता को उक्त अपराध के स्पष्टीकरण (क) एवं (ख) में परिभाषित किया गया है।

20. वर्तमान मामले में मृतका से दहेज की मांग को लेकर क्रूरता के संबंध में मृतका की मॉ पी.डब्ल्यू–16 गीता एवं भाई पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर एवं पी.डब्ल्यू–18 राम डागर की साक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उक्त गवाहान की साक्ष्य का ऊपर विवेचन किया गया है, जिसका सार मात्र यह है कि आरोपी मृतका के साथ शराब के नशे में मारपीट करता था। दहेज की मांग को लेकर परेशान या प्रताड़ित करने के संबंध में उक्त साक्षीगण की शब्द मात्र भी साक्ष्य नहीं है।

21. इस प्रकार जहॉ तक धारा 498 स्पष्टीकरण (क) भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है, इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत वर्तमान मामला किसी प्रकार से नहीं आता है, क्योंकि अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई जानबूझकर आचरण किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप मृतका को आत्महत्या के लिए प्रेरित होना पड़े। इस प्रकार मृतका के जीवन, अंग या स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर क्षति या खतरा होना भी अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। मृतका के स्वास्थ्य के

प्रति गम्भीर क्षति अथवा खतरा होना भी अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। साक्षीगण ने मृतका के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का शब्द मात्र भी कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य से धारा 498 भा.द.सं. के स्पष्टीकरण (क) एवं (ख) में परिभाषित क्रूरता साबित नहीं होती है।

22. उपर्युक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से आरोपी के विरुद्ध धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक अवयव/संघटक (ingredient) को साबित करवाने में विफल रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभियाजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह की परिधि से यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा सुसंगत दिवस को सुसंगत समय व स्थान पर मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो।

23. जहॉ तक दिनांक 06.08.2020 को मृतका के साथ आरोपी द्वारा मारपीट कारित किए जाने के आरोप का प्रश्न है, तो परिवादी पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर ने यह बताया है कि मृतका ने उसकी पत्नी को यह बताया कि उसका पति राजेश उसके साथ मारपीट कर रहा है, जबकि पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर की पत्नी पी.डब्ल्यू–3 चन्द्रकला ने यह बताया है कि उसको मृतका ने फोन पर यह कहा कि ''मुझे राजेश मार देगा और मारकर पूजा नाम की लड़की को लेकर आयेगा।'' उक्त गवाह ने यह भी जाहिर किया है कि उसको मृतका ने यह भी बताया कि मृतका का पति (आरोपी) शराब पीकर उसको मारता–पीटता है और रात–रात भर घर से बाहर रहता है।

24. उक्त गवाहान की उक्त साक्ष्य का कोई खण्डन उनकी प्रतिपरीक्षा में होना प्रकट नहीं हुआ है। उक्त साक्ष्य को स्वीकार किए जाने से भी दिनांक 06.08.2020 को आरोपी द्वारा गम्भीर व अचानक प्रकोपन के अन्यथा मृतका के साथ मारपीट कारित किया जाना प्रकट नहीं हुआ है। यद्यपि मृतका के साथ अन्य समय पर मारपीट करने के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य का होना दर्शित हुआ है। अतः दिनांक 06.08.2020 को आरोपी द्वारा मृतका के साथ मारपीट कर उपहति कारित किया जाना संदेहातीत प्रमाणित होना प्रकट

नहीं हुआ है।

25. अब आरोपी द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया या गला दबाकर उसकी हत्या कारित की गई है, इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया जावे, तो जैसा कि उक्त प्रकरण के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उक्त मामले में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होने से यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1984 (सु.कोर्ट) 1622 एवं अन्य न्यायिक दृष्टांतों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य बाबत् यह सिद्धांत प्रतिपारित किया है कि–**

(1) प्रत्येक परिस्थितिजन्य साक्ष्य ठोस व पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित होनी चाहिए।

(2) जिन परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य से अन्य कोई परिकल्पना नहीं हो सकती और उनके कृत्य से घटना सीधी, संबंधित हो, उन परिस्थितियों का विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित होना चाहिए।

(3) ऐसी उत्पन्न एवं संभावित समस्त परिस्थितिययां एक श्रृंखला के रूप में साबित हो, जिनमें प्रत्येक कड़ी एक–दूसरे से जुड़ी हो और किसी भी महत्वपूर्ण कड़ी का लोप न हो।

(4) श्रृंखला की समस्त कड़ी मिलकर एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करे, जो अन्य सभी परिकल्पनाओं को अलग रखते हुए केवल अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी साबित कर सके।

26. उक्त सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करें, तो न्यायालय को उक्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया या नहीं, यह दृष्टिगत करना होगा। धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता को प्रमाणित कराने के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया और उसके दुष्प्रेरण के फलस्वरूप मृतका ने आत्महत्या की, जैसा की धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित है। दुष्प्रेरण उकसाहट या षड़यन्त्र या साशय सहायता द्वारा ही किया जा सकता है।

27. **M. Arjunan VS State (Represented by Its Inspector of Police) (2019) 3 SCC 315** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध की निम्न विशिष्टियां उल्लेखित की हैं–

"The essential ingredients of the offence under Section 306 IPC are: (i) the abetment: (ii) the intention of the accused to aid or instigate or abet the deceased to commit suicide. The act of the accused, however, insulting the deceased by using abusive language will not, by itself, constitute the abetment of suicide. There should be evidence capable of suggesting that the accused intended by such act to instigate the deceased to commit suicide. Unless the ingredients of instigation/abetment to commit suicide are satisfied the accused cannot be convicted under Section 306 IPC."

28. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Ude Singh Vs State of Haryana, (2019) 17 SCC 301** के मामले में धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता की परिधि में आता है या नहीं, इस संबंध में निम्न मत व्यक्त किया गया है–

"In cases of alleged abetment of suicide, there must be a proof of direct or indirect act(s) of incitement to the commission of suicide. It could hardly be disputed that the question of cause of a suicide, particularly in the context of an offence of abetment of suicide, remains a vexed one, involving multifaceted and complex attributes of human behaviour and responses/reactions. **In the case of accusation for abetment of suicide, the Court would be looking for cogent and convincing proof of the act(s) of incitement to the deceased by another person would not suffice unless there be such action on the part of the accused which compels the person to commit suicide; and such an offending action ought to be proximate to the time of occurrence. Whether a person has abetted in the commission of suicide by another or not, could only be gathered from the facts and circumstances of each case.**

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Gurcharan Singh Vs State of Punjab (2020) 10 SCC 200** के मामले में किसी भी अपराध के mens rea की विद्यमानता के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"15 As in all crimes, mens rea has to be established. To prove the offence of abetment, as specified under Section 107 IPC, the state of mind to commit a particular crime must be visible, to determine the culpability. In order to prove mens rea, there has to be something on record to establish or show that the appellant herein had a guilty mind and in furtherance of that state of mind, abetted the suicide of the deceased...."

30. उक्त प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य में चिकित्सकीय साक्ष्य प्रमुख है। मेडिकल बोर्ड के तीनों चिकित्सक पी.डब्ल्यू–6 डॉ. अनिल सिंघल, पी. डब्ल्यू–7 डॉ. मुकेश कुमार मंगल एवं पी.डब्ल्यू–8 डॉ. अरविंद मथुरिया द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 एवं उसके संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण प्रदर्श पी–7 को प्रमाणित करवाते हुए साक्ष्य दी है कि मृतका के शरीर का बाह्य परीक्षण करने पर उसके शरीर पर ठोड़ी के नीचे मध्य भाग में रगड़, दांयी गर्दन के मध्य एवं निचले एक तिहाई हिस्से में नीलगू चोट व साथ में कई छोटे रगड़ के निशान, बांये मेंडिवल के कोण के नीचे व गर्दन के बांयी ओर मध्य एक तिहाई भाग में आगे व पीछे की ओर नीलगू चोटें होना पाया गया। उक्त गवाहान ने उक्त चोटों का मृत्यु से पूर्व कारित होना एवं मृतका के गले व गर्दन की सभी हड्डी टूटी नहीं होना बताते हुए मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला घोटने के कारण दम घुटने (manual strangulation) जाहिर किया है।

31. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–19 दिलीप कुमार द्वारा मेट्रोमास हॉस्पिटल को मृतका के रिकॉर्ड की सूचना देने के संबंध में लिखा जाना बताया है, जिसका प्रत्युत्तर प्रदर्श पी–30 के रूप में अभिलेख पर है, जिसके अनुसार मृतका को दिनांक 06.08.2020 को सायं. 7.15 बजे उक्त अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था, जहॉ ई.सी.जी. से मृतका की मृत्यु होने की पुष्टि होने पर आपातकालीन विभाग के चिकित्सक द्वारा उसको मृत घोषित कर सूचना परिजनों को दिया जाना अंकित किया है।

32. उक्त प्रकरण में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–31 भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे उक्त आर्टिकल–1 व प्रदर्श डी–2 के अवलोकन से पी.डब्ल्यू–3 चन्द्रकला व मृतका एवं उसके पुत्र अंकित के बीच वार्तालाप के दौरान रोते हुए मृतका को घुटन होना, आरोपी द्वारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया जाना, यार–दोस्त बाहर की दुनिया में राजी रहना और मृतका का विमल का अत्यधिक सेवन करना, क्षय रोग होना तथा मृतका व उसके पति के मध्य लड़ाई–झगड़ा होना दर्शित होता है।

33. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को जोड़ने के लिए mens rea महत्वपूर्ण साक्ष्य है। हस्तगत प्रकरण में मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने या गला दबाकर मृत्यु कारित करने के संबंध में आरोपी का कोई mens rea होना अभियोजन साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है। यद्यपि मृतका के परिजनों की साक्ष्य एवं मृतका व पी.डब्ल्यू–3 चन्द्रकला एवं उसके पुत्र पी.डब्ल्यू–9 अंकित की वार्तालाप की ट्रासंक्रिप्ट में मृतका और उसके पति (आरोपी) के मध्य लड़ाई–झगड़ा होता था।

34. मृतका के परिजन परिवादी पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर, पी.डब्ल्यू–3 चन्द्रकला, पी.डब्ल्यू–15 जगदीश प्रसाद, पी.डब्ल्यू–16 गीता व पी.डब्ल्यू–18 राम डागर की साक्ष्य से उनका वक्त घटना मौके पर उपस्थित होना प्रकट नहीं हुआ है। मृतका के बच्चे पी.डब्ल्यू–9 अंकित व पी.डब्ल्यू–10 सोनिया, जो कि वक्त घटना मृतका के साथ निवासरत होकर मौके पर उपस्थित थे, की साक्ष्य महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों गवाहान अवयस्क है, जो धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानानुसार सक्षम साक्षी हैं।

35. उक्त अवयस्क गवाहान को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। चूंकि यह स्थापित विधिक स्थिति है कि पक्षद्रोही गवाह की साक्ष्य को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता बल्कि ऐसी साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन किए जाने की आवश्यकता होती है। अतः उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू–9 अंकित व पी. डब्ल्यू–10 सोनिया की सशपथ साक्ष्य का परिशीलन किया जावे, तो यह प्रकट होता है कि उनके पिता, उनकी मम्मी को सही रखते थे, कभी

मारपीट नहीं करते थे, न कभी तंग–परेशान करते थे। उक्त गवाहान ने सशपथ प्रतिपरीक्षा के दौरान बचाव पक्ष के जिन सुझावों को स्वीकार किया है, उससे यह भी प्रकट हुआ है कि दिनांक 06.08.2020 को उनके ताउजी रूपनारायण अपने पुत्र को पियूष के साथ उनके पापा से मिलने आये, उसके बाद लगभग 5.00 बजे उनके पापा घर से चले गए। उक्त गवाहान के पापा के जाने के बाद रामसिंह नाम का व्यक्ति उनकी मम्मी से मिलने आया, तब पी.डब्ल्यू–9 अंकित को विमल गुटका और दूध लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया एवं पी.डब्ल्यू–10 सोनिया को उसकी मम्मी द्वारा यह कहा जाना कि वह कपड़े बदलने दूसरे कमरे में जा रही है, वहाँ नहीं आना।

36. उक्त साक्ष्य से मृतका व उसके पति के मध्य पारिवारिक मामलों को लेकर लड़ाई–झगड़ा भी होता था, तो उसे उत्पीड़न या क्रूरता का ऐसा ठोस सबूत नहीं माना जा सकता कि धारा 113ए साक्ष्य अधिनियम के तहत यह अवधारणा कारित की जा सके कि आरोपी ने मृतका को अत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया या आरोपी मृतका की मृत्यु कारित करना चाहता था। ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श डी–2 में मृतका द्वारा पी.डब्ल्यू–3 चन्द्रकला को मर जाने के संबंध में बात करने से भी यह दर्शित नहीं होता कि आरोपी द्वारा ही मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो। इसके अतिरिक्त पी. डब्ल्यू–9 अंकित ने यह भी साक्ष्य दी है कि जब वह वापस आया, तो उसने कमरे के छेद में से देखा कि रामसिंह उसकी मम्मी का गला दबा रहा है, जिससे वह घबराकर बैठ गया। उसकी बहिन पी.डब्ल्यू–10 सोनिया व उसने दुबारा देखा, तो उसकी मम्मी के केवल पैर दिखाई दे रहे थे, तब पी. डब्ल्यू–9 अंकित ने दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ा और बाहर से फोटोस्टेट की दुकान वाले शेखर को बुलाकर लाया।

37. उक्त गवाहान पी.डब्ल्यू–9 अंकित व पी.डब्ल्यू–10 सोनिया की साक्ष्य यह भी रही है कि रामसिंह आता, तब उसकी मम्मी उनको बहाने से घर से बाहर भेज देती। उसके पति कई बार घर से बाहर रहते, तो रामसिंह उसकी मम्मी के साथ उनके घर पर रुकता था और मम्मी के साथ कमरे में सोता था। उक्त गवाहान की साक्ष्य के अनुसार जिस कमरे में मृतका पायी

गई, उस कमरे में अन्य दरवाजा होना भी प्रकट है किन्तु तत्समय उस दरवाजे के बंद अवस्था में होने की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ना भी संदिग्धता प्रकट करता है। नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 में जिस कमरे में मृतका पायी गई, उसके केवल एक ही दरवाजा होना दर्शित होता है, जिससे इस संबंध में गवाहान की साक्ष्य प्रदर्श पी–6 से विपरीत होना प्रकट होता है।

38. पी.डब्ल्यू–9 अंकित ने अपने धारा 161 द.प्र.सं. के कथन प्रदर्श पी–9 में दरवाजे के छेद से देखने पर किसी रामसिंह द्वारा उसकी मम्मी का गला दबाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है, जबकि न्यायालय में अपनी सशपथ साक्ष्य में यह बताया है कि उसने रामसिंह को अपनी मम्मी का गला दबाते हुए देखा गया, जिससे उक्त गवाह द्वारा अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान तात्विक सुधार किया जाना प्रकट होता है। उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान में यह भी बताया है कि टेबल पर चढ़कर उसने छुरे से साड़ी का फंदा काटा, जिससे उसकी मॉ एकदम से टेबल पर गिर गई। तत्समय वह एवं उसकी बहिन ही घर पर थे।

39. पी.डब्ल्यू–11 शेखर जैन ने अपनी सशपथ साक्ष्य में अपनी दुकान के पीछे आरोपी का मकान मालिक औंकार सिंह के मकान में किराये पर रहना, उसने आरोपी राजेश व उसकी पत्नी के बीच कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं देखा जाना बताते हुए राजेश की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, इसकी जानकारी नहीं होना जाहिर किया है।उक्त साक्षी अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपनी सशपथ प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि दिनांक 06.08.2020 को राजेश के बच्चे उसके पास आये और उनकी मम्मी का टेबल पर लेटे होना बताते हुए उसके पापा को फोन करने के लिए कहा। उक्त गवाह ने मृतका के पास किसी रामसिंह नामक व्यक्ति का आना व दिनांक 06.08.2020 को रामसिंह का जल्दबाजी में घर से निकलते हुए देखा जाना भी बताया है।

40. पी.डब्ल्यू–12 औंकार सिंह ने अपनी सशपथ साक्ष्य में बताया है कि आरोपी राजेश अपने परिवार सहित 12–15 वर्ष से उसके मकान में किराये से रहता था, जो अपनी पत्नी को सही रखता था। उसने राजेश को अपनी

पत्नी के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखा जाना एवं स्वयं के हस्ताक्षर से नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 को प्रमाणित करवाते हुए फोटो प्रदर्श पी–13 लगायत पी–26 पुलिस को दिया जाना बताया है। उक्त गवाह ने इस संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाण–पत्र भी दिया है। उक्त गवाह ने दिनांक 06.08.2020 को सायं. लगभग 5.00 बजे से 7.00 बजे तक राजेश का उसके साथ होना जाहिर करते हुए टाईल की दुकान पर जाने व सब्जी लेने के बारे में भी बताया है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–19 दिलीप कुमार की साक्ष्य से भी वक्त घटना आरोपी का घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होना प्रकट होता है। उक्त पी.डब्ल्यू–12 औंकार सिंह ने भी मृतका के पास रामसिंह के आने के संबंध में साक्ष्य दी है।

41. उक्त गवाहान पी.डब्ल्यू–9 लगायत पी.डब्ल्यू–12 से अभियोजन पक्ष की ओर से रामसिंह के संबंध में पुनः परीक्षा की गई किन्तु रामसिंह कौन है, इस संबंध में उक्त सभी गवाहान ने यही साक्ष्य दी है कि वे रामसिंह को नहीं जानते। अनुसंधान के दौरान मृतका के पास रामसिंह के आने–जाने के संबंध में किसी भी गवाह द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया जाना प्रकट होता है, जिससे उक्त गवाहान ने अपनी साक्ष्य में तात्विक सुधार किया है।

42. पी.डब्ल्यू–20 अम्बालाल द्वारा सी.एच.सी. खण्डार में मृतका का पंचायतनामा प्रदर्श पी–3 मूर्तिब कर जरिये प्रदर्श पी–4 लाश की सुपुर्दगी दिया जाना, पोस्टमार्टम के लिए सी.एच.सी. खण्डार को पत्र प्रदर्श पी–36 दिया जाना, रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पंजीबद्ध होना जाहिर किया है। प्रदर्श पी–1, पी–2 व पी–4 की पुष्टि साक्षी पी.डब्ल्यू–1 दीपक डागर की साक्ष्य से, प्रदर्श पी–3 की पुष्टि पी. डब्ल्यू–1 दीपक डागर, पी.डब्ल्यू–2 लखन, पी.डब्ल्यू–4 रवि कुमार, पी. डब्ल्यू–5 पूरण एवं प्रदर्श पी–6 की पुष्टि पी.डब्ल्यू–15 जगदीश प्रसाद की साक्ष्य से होती है।

43. पी.डब्ल्यू–19 दिलीप कुमार ने उक्त प्रकरण में किए गए अनुसंधान के संबंध में साक्ष्य देते हुए गवाहान के कथन उनके कथनानुसार लिपिबद्ध किया जाना, घटनास्थल के फोटो प्रदर्श पी–13 लगायत पी–26, औंकार सिंह द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अंतर्गत धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श

पी–27 एवं दीपक व चन्द्रकला द्वारा धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–31, आरोपी व मृतका के मोबाइल की सी.डी.आर. प्रदर्श पी–32 व पी–33 शामिल पत्रावली किया जाना बताते हुए मृत्यु के संबंध में राय हेतु प्रदर्श पी–34 तहरीर दिया जाना, जिस पर मेडिकल बोर्ड की राय प्रदर्श पी–7 प्राप्त होना, मृतका के विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जॉच हेतु भेजा जाना, जो प्रदर्श पी–35 से जमा करवाया जाना बताया है।

44. पी.डब्ल्यू–17 प्रमोद कुमार ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 12.10.2020 को उक्त प्रकरण से संबंधित 02 सैम्पल मालखाना प्रभारी से प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उसी दिन जमा करवाया जाकर रसीद प्रदर्श पी–35 प्राप्त किया जाना भी बताया है, जो प्रदर्श पी–35 से भी प्रकट है। उक्त सैम्पल की जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 होना अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–19 दिलीप कुमार द्वारा जाहिर किया गया है। उक्त रिपोर्ट सहायक निदेशक (विष) एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विष), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए जाने से 293(4)(e) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार बिना किसी औपचारिक साक्ष्य के ग्राह्य योग्य है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार विसरा की जॉच करने पर metallic poison, ethyl and methyl alcohol, cyanide, alkaloids, barbiturates, tranquillizers and insecticides के संबंध में नकारात्मक परीक्षण दिया जाना दर्शित होता है।

45. उक्त गवाह ने आरोपी को जरिये प्रदर्श पी–28 गिरफ्तार किया जाना बताया है, जिसकी पुष्टि पी.डब्ल्यू–13 संजय कुमार, पी.डब्ल्यू–14 रामकिशन की साक्ष्य से भी होती है। पी.डब्ल्यू–19 दिलीप कुमार ने मृतका की चन्द्रकला व दीपक डागर की वार्ता की रिकॉर्डिंग पैन ड्राईव आर्टिकल–1 जिसकी ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श डी–2 होना जाहिर किया है। उक्त ट्रांसक्रिप्ट मृतका के परिजनों द्वारा उपलब्ध करवायी गई, जिसे परिवर्तित या परिवर्धित किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान मृतका एवं परिवादी की पत्नी के बीच अंतिम समय पर जो बातचीत हुई, उन मोबाइल को जप्त किया जाना भी प्रकट नहीं हुआ है।

46. उक्त प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से जब घटना घटित हुई, तत्समय आरोपी का मौके पर नहीं होना पी.डब्ल्यू–12 औंकार सिंह एवं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–19 दिलीप कुमार की साक्ष्य से प्रकट है। ऐसी स्थिति में आरोपी को मृतका के साथ अंतिम बार देखा हो, ऐसी कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जहॉ तक आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने के mens rea का संबंध है, वह प्रकरण में साबित नहीं है। साक्ष्य से न तो अभियुक्त की मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की मंशा होना और न ही अभियुक्त का कोई कृत्य मृतका को ऐसी स्थिति में धकेलने का होना, जिससे वह आत्महत्या कर ले, भी प्रमाणित नहीं हुआ है। मृतका की मृत्यु आरोपी द्वारा ही गला दबाकर कारित की गई हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि मृतका के गले से अंगुली प्रिंट लिए जाकर इस संबंध में सम्यक अनुसंधन किया जा सकता था, जिसका उक्त प्रकरण में पूर्ण अभाव होना दर्शित हुआ है।

47. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत शरद बिरधी चंद शारदा के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में कड़ी दर कड़ी एक श्रृंखला के रूप में साबित होनी चाहिए, जो कि इस प्रकरण में साबित नहीं है।

48. अतः पूर्वोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे यह प्रमाणित करवाने में सफल नहीं रहा है कि आरोपी ने पीड़िता का पति होते हुए विवाह उपरांत सुसंगत दिवस, समय व स्थान पर शराब पीकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित कर सुसंगत दिवस, समय व स्थान पर मानसरोवर, जयपुर स्थित अपने किराये के मकान में गम्भीर व अचानक प्रकोपन के अन्यथा मारपीट कर उपहति कारित की एवं मृतका का पति होते हुए उसके प्रति मानसिक व शारीरिक रूप से क्रूरता का आचरण कर निरंतर प्रताड़ित किए जाने से मृतका ने आत्महत्या कर ली या आरोपी द्वारा मृतका को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उसका गला यह संभाव्य जानते हुए दबाया कि ऐसा करने से प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृतका की मृत्यु हो जायेगी।

49. जहॉ किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को आरोपित किया

जाता है, तो यह विधिक अपेक्षा है कि उसके विरुद्ध आरोपित अपराध प्रबल, सुदृढ़, संदेहातीत साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करवाया जाए किन्तु हस्तगत मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोई भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुॅंच सकता कि आरोपी द्वारा अपराध कारित किया गया है।

50. परिणामस्वरूप अभियुक्त राजेश कुमार के विरुद्ध धारा 498ए, 323 व 306 विकल्पतः 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त उक्त अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने योग्य हे।

:: **<u>आदेश</u>** ::

51. परिणामतः अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र पूरणमल, उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव बहरावण्डा कला, थाना बहरावण्डा कला, तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर को आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा 498ए, 323 व 306 विकल्पतः 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

52. अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जावें।

53. पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के प्रावधानानुसार परिवादी पक्ष को प्रतिकर दिलवाया जाना विधि अनुसार और न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रतिकर राशि दिलवाए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

(प्रीति मुकेश परनामी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम

54. निर्णय आज दिनांक 28 जून, 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मुकेश परनामी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम